

मुख्या / उद्यान / 2019-20 / 3049  
प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय: प्रमाणित हल्दी की कय/विकय दर के सम्बन्ध में ।

संदर्भ: दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर - प्रमाणित हल्दी सोना की दरों के अनुमोदन बाबत


दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रदायक द्वारा निगम के साथ अनुबंध का निष्पादन किया गया है। प्रमाणित हल्दी बीज सोना की दर का निम्नानुसार किया जाता है :

क्र.	उत्पादक का नाम	सत्यरूप हल्दी का विवरण	कय दर	विकय दर
1.	मेसर्स शिव शक्ति बीज एवं कृषि पौधे कय विकय सह. समिति मर्यादित ग्राम बनाडा, तह, सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद(09754333500) 6264509090	हल्दी किस्म- प्रमाणित हल्दी सोना	रु 114 / ... प्रति किलो	रु 120.00 प्रति किलो

निगम द्वारा आमंत्रित किये गये रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रति संलग्न निगम की वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकेगी। डाउनलोड प्रति रिकार्ड में रखी जाए।

2. विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी किये जायेंगे। सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा प्रदायक द्वारा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।

3. परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी। आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिंग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है।



4. निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार जिला प्रबंधक द्वारा निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

- (अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग की पावती एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा ।
- (ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर किया जावेगा ।

प्रदाय की शेष शर्तें रेट कान्ट्रैक्ट आफर में उल्लेखानुसार रहेगी। अनुमोदित दरे निगम के माध्यम से व्यवसाय हेतु जारी की जाती है ।

*D. Parash*  
उप महाप्रबंधक उद्यान 13/9/19

प्रतिलिपि 3050  
13-09-19

1. स्टाफ आफिसर , अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी मध्यप्रदेश भोपाल
3. संयुक्त संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान (समस्त)
4. मेसर्स मेसर्स शिव शक्ति बीज एवं कृषि पौधे क्रय विक्रय सह.समिति मर्यादित ग्राम बनाडा, तह, सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

*D. Parash*  
उप महाप्रबंधक उद्यान  
13/9/19.